COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES
COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

(25)

माननीय न्यायालय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / 15 निगरानी नि/3139/III/15

1. श्रीमती कंचनबाई पति स्व. बाबूलालजी बागरेचा जाति–जैन, आयु 69 वर्ष
2. राजेश पिता स्व. बाबूलालजी बागरेचा, जाति–जैन, आयु 48 वर्ष,
3. अनिल पिता स्व. बाबूलालजी बागरेचा, जाति–जैन, आयु 46 वर्ष,
4. सुनील पिता स्व. बाबूलालजी बागरेचा, जाति–जैन, आयु 44 वर्ष, निवासीगण–सागरमल मार्ग, खाचरौद, जिला उज्जैन
5. अनिलकुमार पिता स्व. श्री रामचन्द्रजी शर्मा, आयु 51 वर्ष, निवासी–134, महात्मा गांधी मार्ग, खाचरौद, जिला उज्जैन

...........प्रार्थीगण

--विरुद्ध--

1– मध्यप्रदेश शासन, द्वारा–पटवारी, खाचरौद, जिला उज्जैन
2– विमलचन्द पिता इन्दरमलजी बागरेचा, जाति जैन आयु 66 वर्ष, निवासी–सागरमल मार्ग, खाचरौद, जिला उज्जैन

.......प्रतिप्रार्थीगण

श्री ..... द्वारा आज दि. 16-9-15 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विषय – न्यायालय अपर राजस्व आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा प्रकरण क्रमांक 75/2014–15 अपील में पारित आदेश दिनांक 30–07–2015, जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को दिनांक 24–08–2015 को हुई, जिसके द्वारा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने प्रार्थी के स्थगन आवेदन–पत्र अन्तर्गत 52 म.प्र. भू–राजस्व संहिता को निराकृत किए बगैर प्रकरण अंतिम बहस हेतु नियत किया गया है, उक्त आदेश के विरुद्ध धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत निगरानी.

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3139–तीन/2015 | **जिला उज्जैन**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2–1–2018	आवेदिका पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । आवेदिकापक्ष द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–7–15 से स्थगन नहीं दिये जाने के कारण इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । 2/ आवेदिका का एक मात्र मॉग यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसके स्थगन आवेदन पर कोई निर्णय न कर उसे पेंडिंग रखा है । प्रकरण में प्रथमदृष्टया आवेदिका का कब्जा प्रमाणित है अतः सुविधा संतुलन उसके पक्ष में है । अतः इस निगरानी का अंतिम निराकरण इन निर्देशों के साथ किया जा रहा है कि आगामी तीन माह तक अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 12–8–2014 का क्रियान्वयन स्थगित रखा जावे तथा अपर आयुक्त तीन माह में उभयपक्ष को सुनकर प्रकरण का अंतिम निराकरण करें । (मनोज गोयल) **अध्यक्ष**	